नवीनीकरण हेतु शपथ–पत्र का प्रारूप

1– यह कि शपथकर्ता ....पुत्र .... निवासी .... दुकान–देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/मॉडल शाप .... जनपद .... का वर्ष 2018–19 हेतु अनुज्ञापी हैं।

2– यह कि शपथकर्ता अपनी उपरोक्त दुकान का वर्ष 2019–20 हेतु नवीनीकरण कराना चाहता है।

3– यह कि उपरोक्त दुकान की माह–दिसम्बर–2018 तक की समस्त देयताओं बेबाक हैं।

4– यह कि उक्त दुकान की वर्ष 2018–19 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हैं।

(देशी मदिरा दुकान के संबंध में)

5– यह कि शपथकर्ता शॅपथ लेता हैं कि वह दिनांक 31.01.2019 तक उपरोक्त दुकान के व्यवस्थित वार्षिक एम0जी0क्यू0 के आधार पर माह–जनवरी 2019 तक आगणित समानुपातिक एम0जी0क्यू0 से 6 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की निकासी लेना सुंनिश्चित करेगा तथा वर्ष 2018–19 हेतु व्यवस्थित वार्षिक एम0जी0क्यू0 से 6 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की निकासी दिनांक 15.03.2019 के पूर्व ले लेना सुनिशिचित कर लेगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2018–19 की प्रतिभूति का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2019–20 की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। उपरोक्तानुसार जब्त की गयी प्रतिभूति की वह प्रतिपूर्ति करेगा।

(विदेशी मदिरा दुकान के संबंध में)

5– यह कि शपथकर्ता शपथ लेता हैं कि दिनांक 31.01.2019 तक उपरोक्त दुकान पर हुये उपभोग में प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) गत वित्तीय वर्ष की समान अवधि में हुये आकलित समानुपातिक उपभोग में सन्निहित राजस्व से 40 प्रतिशत अधिक होगा। इसी प्रकार 15.03.2018 तक दुकान पर संपूर्ण वर्ष 2017–18 में हुये समानुपातिक उपभोग में सन्निहित प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) 40 प्रतिशत अधिक प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) के समतुल्य की निकासी प्राप्त करते हुये दिनांक 31.03.2019 तक उपभोग सुनिश्चित करेगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2018–19 की प्रतिमूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2019 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। उपरोक्तानुसार जब्त की गयी प्रतिभूति की वह प्रतिपूर्ति करेगा।

Scanned by CamScanner

(बीयर दुकान के संबंध में)

5— यह कि शपथकर्ता शपथ लेता है कि दिनांक 31.01.2019 तक 500 एम0एल0 केन के टर्म में उपरोक्त दुकान पर हुआ उपभोग गत वित्तीय वर्ष की समान अवधि में हुये आकलित समानुपातिक उपभोग से 30 प्रतिशत अधिक होगा। इसी प्रकार 15.03.2019 तक दुकान पर संपूर्ण वर्ष 2017—18 में हुये 500 एम0एल0 केन के टर्म में समानुपातिक उपभोग से 30 प्रतिशत अधिक की निकासी प्राप्त करते हुये दिनांक 31.03.2019 तक उपभोग सुनिश्चित करेगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2018—19 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2019—20 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। उपरोक्तानुसार जब्त की गयी प्रतिभूति की वह प्रतिपूर्ति करेगा।

(माडल शाप के संबंध में)

5— यह कि शपथकर्ता शपथ लेता है कि दिनांक 31.01.2019 तक गत् वित्तीय वर्ष की समान अवधि में उपरोक्त दुकान पर विदेशी मदिरा के हुये आकलित समानुपातिक उपभोग (750 एम0एल0 की बोतलों के टर्म में) सन्निहित राजस्व से 40 प्रतिशत अधिक प्रतिफल शुल्क के समतुल्य विदेशी मदिरा का उपभोग तथा गत वर्ष की समान अवधि में दुकान पर बीयर के हुये 650 एम0 एल0 के टर्म आकलित समानुपातिक उपभोग से 30 प्रतिशत अधिक उपभोग सुनिश्चित करेगा। साथ ही संपूर्ण वर्ष 2018—19 मे दुकान पर संपूर्ण वर्ष 2017—18 में विदेशी मदिरा के उपभोग में सन्निहित प्रतिफल शुल्क से 40 प्रतिशत अधिक प्रतिफल के समतुल्य की निकासी तथा संपूर्ण वर्ष 2017—18 में हुये बीयर के उपभोग (650 एम0एल0 की बोतलों के टर्म में) से 30 प्रतिशत अधिक की निकासी। 15.03.2019 के पूर्व तक सुनिश्चित कर लेगा तथा ऐसी निकासी का उपभोग दिनांक 31.03.2019 तक सुनिश्चित कर लेगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2018—19 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2019—20 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। उपरोक्तानुसार जब्त की गयी प्रतिभूति की वह प्रतिपूर्ति करेगा।

6— यह कि शपथकर्ता ने सयुंक्त प्रांत आबकारी अधिनियम—1910 एंव संबंधित नियमों एंव आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2019—20 को भली भॉति समझ लिया हैं। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय—समय पर दिये गये आदेशो/निर्देशों का पालन करेगा।

7— यह कि नवीनीकरण के आन—लाइन पोर्टल पर उपरोक्त दुकान से संबंधित वर्ष 2019—20 हेतु प्रदर्शित औपबंधिक वार्षिक एम0जी0क्यू0/बे0ला0फी0/लाइसेंस फीस आदि को शपथकर्ता ने आवलोकित कर लिया है तथा दिनांक 31.01.2019 के पश्चात पुनरीक्षणोपरांत निर्धारित होने वाले एम0जी0क्यू0/ब0ला0फी0/ला0फी0 आदि का शपथकर्ता पालन करेगा तथा इस प्रकार निर्धारित देयताओं को जमा करेगा। उपरोक्त कमांक—1 से 7 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं।''

उक्त सूची में देशी शराब दुकान/विदेशी मदिरा दुकान/बीयर की फुटकर बिक्री दुकानों एवं मॉडल शॉप की वर्णित दुकानों के वर्ष 2018—19 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त दिये गये प्रारूप में शपथ पत्र अपलोड किया जायेगा तथा प्रोसेसिंग फीस और जी0एस0टी0 की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। दिनांक 31.01.2019 तक के उपभोग के आधार पर अन्तिम आगणित बेसिक लाइसेंस फीस की शेष धनराशि 28 फरवरी, 2019 तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 31 मार्च, 2019 तक जमा की जा सकेगी।

Scanned by CamScanner